संख्या-200(1)/44-2-75/86,

प्रेषक,

श्री जी0 गणेश,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) प्रदेश के समस्त निगमों/उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक,
(2) निगमों से संबंधित शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव।

लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 1987

विषय :- सार्वजनिक उद्यमों में चिकित्सा अवकाश का मानकीकरण।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

शासन की जानकारी में यह बात लायी गई है कि निगमों में अधिकारी/कर्मचारीगण स्पष्ट प्राविधानों के अभाव में चिकित्सा अवकाश का उपभोग समुचित ढंग से नहीं कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप प्रदेश के सार्वजनिक उद्यमों में चिकित्सा अवकाश के मानकीकरण की आवश्यकता हुई है। शासन द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है, जिसे मुझे आपको सूचित करने का निदेश हुआ है :-

(1) सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को 1 वर्ष में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। इसका स्वरूप अर्जित अवकाश की भांति होगा। अर्थात कर्मचारी के लेखे में प्रतिवर्ष 10 दिन का चिकित्सा अवकाश जुड़ेगा, यदि उसने अवकाश का उपभोग नहीं किया है। इसका आंकलन प्रतिवर्ष जनवरी माह से किया जायेगा ;

(2) गम्भीर बीमारी अथवा अस्पताल में भर्ती होने की दशा में अस्पताल के चिकित्सक (जो चिकित्सा अधीक्षक से नीचे के स्तर का नहीं होना चाहिए) के परामर्श पर प्रबन्ध निदेशक को अधिकतम 1 माह (30 दिन) का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार होगा। यदि एक माह से अधिक चिकित्सा अवकाश की आवश्यकता हो तो ऐसी दशा में निदेशक मण्डल की स्वीकृति आवश्यक होगी। इस प्रकार जितने दिन का अतिरिक्त अवकाश स्वीकृत किया जायेगा, उसे आगे देय होने वाले अवकाश में 10 दिन प्रतिवर्ष की दर से समायोजित किया जायेगा।

2-आपसे अनुरोध है कि कृपया इन निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें तथा सेवानियमावली में तद्नुसार संशोधन करने का कष्ट करें।

भवदीय,
जी0 गणेश,
सचिव।

संख्या-200(1)/44-2-75/86, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निगमों से संबंधित सचिवालय के समस्त प्रशासकीय विभाग।
(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
बृजभूषण चतुर्वेदी,
संयुक्त सचिव।